भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2223

दिनांक 12 दिसम्बर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

ओआरएस लेबलिंग का दुरुपयोग

2223. डॉ. संबित पात्राः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि कई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, किराना स्टोर, शॉपिंग मॉल, दवा दुकाने आदि अवैध रूप से फल-आधारित पेय पदार्थ, रेडी-टू-ड्रिंक उत्पाद, इलेक्ट्रोलाइट्स आदि को ओआरएस (ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन) का लेबल लगा कर बेच रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और सरकार द्वारा ऐसे विक्रेताओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ख) क्या सरकार ने ओआरएस लेबलिंग के दुरुपयोग को रोकने के लिए उल्लंघन की स्थिति में निरीक्षण और उपचारात्मक उपायों के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने अपने नियामक निगरानी के तहत सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) को निर्देश जारी किए हैं कि वे "ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन (ओआरएस)" शब्द वाले ब्रांड नाम/उत्पाद नाम को सभी वितरण चैनलों के साथ-साथ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से तत्काल प्रभाव से हटा दें।

इसके अनुसरण में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी प्रवर्तन अधिकारियों और एफएसएसएआई के क्षेत्रीय कार्यालयों को भी निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों और केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरणों को सलाह दी गई है कि वे ऐसे एफबीओ और गैर-कार्बोनेटेड जल-आधारित

पेय/फल-आधारित पेय/रेडी टू सर्व/ पेय पदार्थों पर "ओआरएस" शब्द का उपयोग करने वाले भ्रामक खाद्य लेबल के खिलाफ एफएसएस अधिनियम, 2006 और संबंधित विनियमों के प्रावधानों के अनुसार नियामक कार्रवाई शुरू करें।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक (एफएसएस) अधिनियम, 2006 अनुचित व्यापार प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाता है, जिसमें भ्रामक विज्ञापनों और दावों पर रोक शामिल है। इसके अलावा, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने भ्रामक दावों, लेबलिंग और विज्ञापनों से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विज्ञापन एवं दावे) विनियम, 2018 को अधिसूचित किया है। यह सुनिश्चित करता है कि खाद्य संबंधी विज्ञापन और दावे सटीक, भ्रामक न हों और खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप हों। इन अपेक्षाओं का पालन करना खाद्य व्यवसाय की जिम्मेदारी है। इन विनियमों के किसी भी उल्लंघन पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और उसके बाद बनाए गए विनियमों के प्रावधानों के अनुसार उचित कार्रवाई की जा सकती है।

*****